निर्वाचन आवश्यक/फैक्स/ई.मेल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 990/रा.नि.आ.-2/1174/2011

दिनांक 28-11-2015

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–2 देहरादून

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु जनपद हरिद्वार में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की **अधिसूचना संख्या–988/रा0नि0आ0अनु0–2/1174/2011** दिनांक **28 नवम्बर, 2015** को जारी होने के साथ ही जनपद हरिद्वार (नगरीय क्षेत्रों को छोडकर) में **आदर्श आचरण संहिता आज दिनांक 28 नवम्बर से प्रभावी** होकर परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में अपने स्तर से सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें। आदर्श आचरण संहिता की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः– /रा0नि0आ0अनु0–2/1174/2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
4. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

28/11/15

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com